RAJYA SABHA [3 December, 1999]

देखिए संख्या एल.टी.173/99]

- (ii) 1999-2000 के वर्ष के लिए भारत सरकार (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग) और राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बीच बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.172/99]
- (iii) 1999-2000 के वर्ष के लिए भारत सरकार (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पैट्रोरसायन विभाग) और इंडियन पेट्रोकेमिल्स कारपोरेशन लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन।[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.465/99]

Notification of Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): श्रीमन् में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा 3 के अधीन, खाद्य निगम संशोधन नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. 732(अ) दिनांक 29.10.99 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं: [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 230/99]

. Report and Accounts (1998-99 and 1997-98) of hindustan Latex Ltd.,

Thiruvananthapuram and others Medical Centres and Institutes and related papers

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI N.T. SHANMUGAM) Sir, I lay on the Table -

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619 of the Companies Act, 1956:-
 - (a) Annual Report and Accounts of the Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram, for the year 1998-99, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above Company. [Placed in Library. For (a) and (b) See